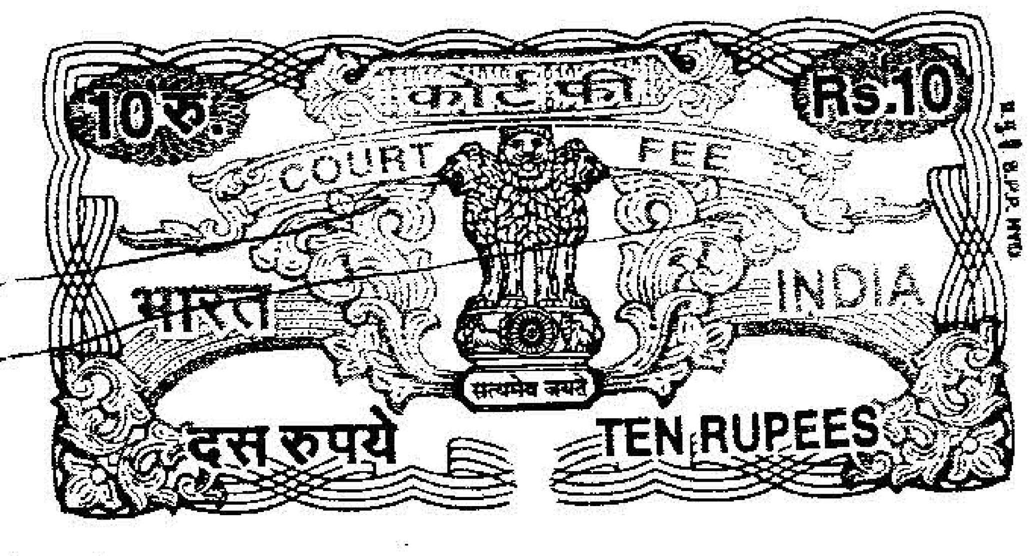

(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–मंदसौर

रेस्टो. 1741-I-14

मनोहर सिंह पुत्र श्री भेरूसिंह राजपूत निवासी शामगढ़ तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर म.प्र.

..........प्रार्थी

विरूद्ध

1. रूपसिंह पुत्र देवी सिंह
2. रतनकुवंर वेवा दाडी सिंह राजपूत निवासीगण शामगढ़ तहसील शामगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थी

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 492/I/2013 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 9 के नियम 32 के अधीन रेस्टोरेशन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, प्रार्थी की द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.14 से अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

(2) यहकि, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में श्री मुकेश जैन को प्रकरण में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था एवं उन्हें प्रकरण से सम्बन्धित समस्त कागजात तथा अधिवक्ता फीस प्रदान कर दी गई थी एवं श्री मुकेश जैन अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को सलाह दी गई थी कि उसे प्रकरण में लगने वाली तारीख पेशियों पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करते रहेंगे।

(3) यहकि, प्रार्थी अपने अधिवक्ता श्री मुकेश जैन की सलाह के अनुसार प्रकरण में तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं होते थे एवं श्री जैन द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले रहे थे। उपरोक्त प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 22.01.2014 को प्रार्थी के अधिवक्ता किन्हीं कारणोंवश

रैस्टो 1741/2014 (कंज्यो०)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों आदि के	अभिभावकों साक्षर
2.7.14	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित उप० हैं। उन्होंने प्रकरण को लोक अदालत पर निराकृत किये जाने का निवेदन किया। आवेदक के निवेदन पर प्रकरण को लोक अदालत पर रखवाये दि० 21.8.14 निराकृत की जाती है स्थगन को स्थगन प्रभावी रहेगा रैस्टो पर तब तक हेतु। C.F. 21.8.14 लोक अदालत उपा० संपादक	21.8.14	
21.8.14	आवे० कृषि की पंकज जैन उप०। स्थगन की सेवा योग्यता वारिश प्रपत्र बिल्कुल कोई उप० नहीं। रैस्टो तथा हेतु। C.F. 17.9.14 रिटर्न	17-9-14 पंकज जैन	
17.9.14	आवे० कृषि की पंकज जैन उप०। उन्हें रैस्टो आवेदन तथा धारा 5 के आवेदन पर सुना गया। स्थगन सूचना उपरांत अनुपस्थित है उन्हें एक-पक्षीय किया जाता है। निर्णय का आवेदन समाधानकारक है कि निर्णय द्वारा कार्य हुए प्रकरण रैस्टोर किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये लिया। यह प्रकरण सुमाल हेतु परिवाद रिकार्ड हो। उपा० संपादक	पंकज जैन	